प्रेस नोट
दिनांक 08.04.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु गठित 'चुनाव कार्यालय' का निरीक्षण कर अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशानिर्देश :-

गोण्डा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत 16 मार्च 2024 को आदर्श आचार संहिता लागू की गयी जिसके परिपालन में आचार संहिता के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में न्यायपूर्ण निष्पक्षता व समानता को सुनिश्चित करने हेतु आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होल्डिंग व दिवाल पेंटिग को हटवाकर आचार संहिता के नियमों का शतप्रतिशत पालन किया गया।

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को जनपद गोण्डा में सकुशल, निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में समस्त क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी द्वारा जनपद के कुल 1665 मतदान केन्द्रों तथा 2726 मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया जिनमें की 240 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील कैटेगरी में चिन्हित किया गया । समस्त संवेदनशील मतदान केन्द्रों/मतदेय स्थलों में स्थानीय पुलिस, अर्द्धसैनिक बलो (CISF, SSB) के साथ एरिया डाॅमिनेशन कर भयमुक्त/निडर होकर मतदान करने हेतु आमजनमानस को प्रेरित किया जा रहा है । सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी करवायी जा रही है ।

जनपद में अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न स्कूलों के छात्र/छात्राओं के साथ स्लोगन पट्टी/बैनर आदि के माध्यम से जागरूकता रैली निकालकर अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जागरूक किया जा रहा है । गोण्डा पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अब तक 107/116 में कुल 37,975 व्यक्तियों की चालानी की गयी तथा 16738 व्यक्तियों को पाबन्द कराया गया । शस्त्र अधिनियम में 13 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी जिसके तहत 13 अवैध शस्त्र व 18

अवैध कारतूसों को बरामद किया गया तथा अब तक कुल 14 लाइसेंसी शस्त्रों को निरस्त कराया गया। एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट में कार्यवाही करते हुए 11.68 किलो अवैध गांजा व 1494 नशीली गोलियां बरामद की गयी है, अबकारी अधि0 में 1108 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है तथा गैंगस्टर ऐक्ट में 25 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जनपद में सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने के दृष्टिगत उपस्थित रहने वाली पैरामिलिट्री फोर्स के ठहरने के लिए कुल 28 विद्यालय व बाहरी जनपदों से आने वाली पुलिस बल हेतु कुल 45 विद्यालय तथा होमगार्डो के लिए 28 विद्यालय आरक्षित किए गए है। जिनका मानक के अनुरूप की गयी व्यवस्थाओं का उच्चाधिकारीगणों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष , पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सभी थाना प्रभारी व राजपत्रित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए गए।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट,
दिनांक 08.04.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जोगिन्दर चौहान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 08.04.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी की सेमरा शेखपुर पुल के पास एक व्यक्ति संदिग्ध दिखने पर रोकटोक कर चेक किया गया तो अभियुक्त जोगिन्द्र चौहान उर्फ जितेन्द्र के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. जोगिन्दर चौहान उर्फ जितेन्द्र पुत्र ठाकुर प्रसाद चौहान नि0 ग्राम शीतल पाण्डेय पुरवा मौजा सेमरा शेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–127/2024, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–336/22, धारा 394,411 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–531/22, धारा 323,504,506,427 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–99/23, धारा 308,323,506,427 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।